कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमण्डल
बालाघाट (म.प्र.)

दूरभाष नं.-(07632-248414)
Email - dfotsbghat@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./ 1844 /बालाघाट, दिनांक 21/11/2019

प्रति,

मुख्य वनसंरक्षक
बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.)

विषय :— बालाघाट जिले में तहसील कटंगी, वन परिक्षेत्र कटंगी (सा.) अंतर्गत ग्राम पंचायत खैरलांजी (कटंगी), ग्राम—खैरलांजी, वनकक्ष क्रमांक पी—768 में पूर्व प्रेषित आवेदित रकबा 0.809 हेक्टे. के स्थान पर आवेदित संशोधित प्रभावित वनभूमि रकबा 0.410 हेक्टेयर वनभूमि में शासकीय हाईस्कूल के भवन निर्माण हेतु वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रदान किये जाने बाबद्।

ऑन लाईन प्रस्ताव क्रमांक/FP/MP/SCH/41392/2019

आवेदक विभाग— जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक (RMSA), जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

संदर्भ :— आवेदक विभाग—जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक (RMSA) जिला—बालाघाट (म.प्र.) का पत्र क्रमांक/आर.एम.एस.ए./2019/781 दिनांक 01.11.2019

—0—

निवेदन है कि विषयान्तर्गत वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव आवेदक विभाग— जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक (RMSA) जिला—बालाघाट (म.प्र.) द्वारा FORM-A, PART-I में ऑनलाईन प्रस्तुत कर संदर्भित पत्र से प्रस्ताव की हार्ड कापी 04 प्रतियों में प्रेषित की गई है। उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव अनुसार आवेदित प्रस्तावित स्थल का मेरे द्वारा दिनांक 11.11.2019 को अधिनस्थ अमलें एवं आवेदक विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया गया। भारत सरकार द्वारा निर्धारित 24 बिंदुओं पर आधारित वनमण्डलाधिकारी दक्षिण (सामान्य) वनमण्डल बालाघाट का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है। ऑन लाईन प्रस्ताव में वनमण्डल अधिकारी द्वारा भरा जानें वाला प्रपत्र फार्मेट FORM-A, PART-II में वांछित जानकारी भरी जाकर ऑनलाईन प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव अनुसार प्रभावित वनक्षेत्र एवं उर्जा वन रोपण के प्रभावित पौधों का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	वनकक्ष क्रमांक	स्थल की जी.पी.एस. रीडिंग (अक्षांश—देशांश)	प्रस्तावित वनभूमि की लम्बाई	प्रस्तावित वनभूमि की चौडाई	प्रस्तावित कुल वनभूमि रकबा (हेक्टै. में)	स्थल में वर्ष 2019 में उर्जा वन रोपण के प्रभावित पौधें की संख्या	उक्त रोपण एवं फेंसिंग में कुल व्यय राशि	उक्त रोपण के एवज में अन्य स्थल पर रोपण किये जाने पर आंकलित आवश्यक राशि	आवेदक विभाग से रोपण पर हुये व्यय एवं अन्य स्थल पर रोपण हेतु ली जाने वाली आवश्यक कुल राशि (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	कटंगी	पी—768	1- 21° 46'08.58" N 79° 45'59.60"E 2- 21° 46'06.35" N 79° 45'59.09"E 3- 21° 46'06.64" N 79° 45'57.11"E 4- 21° 46'08.93" N 79° 45'57.63"E	70 मीटर	57.50 मीटर	0.410 हेक्टेयर	1.करंज — 30 2.शिशु — 43 3.काला सिरस — 65 4.केसिया समिया—122 योग — 260 पौधें	37,642.00	37,642.00	75,284.00

प्रकरण में वन परिक्षेत्र अधिकारी कटंगी (सा.) परिक्षेत्र द्वारा उनके पत्र प्रतिवेदन क्रमांक 1360 दिनांक 16.11.2019 से प्रेषित प्रतिवेदन मय सहपत्र अभिलेख सहित अवलोकनार्थ संलग्न प्रेषित है। उपरोक्त तालिका के कॉलम नं. 9 अनुसार व्यय की गई आंकलित राशि का विवरण प्रपत्र—1 में एवं कॉलम नं. 10 अनुसार अन्य स्थल पर रोपण हेतु आंकलित राशि का विवरण प्रपत्र—2 में संलग्न प्रेषित है। अतः उक्त प्रकरण में आवेदक विभाग से क्षतिपूर्ति की कुल आंकलित राशि रू. 75,284=00 जमा कराई जानी आवश्यक होगी।

अतः विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव ऑन लाईन के माध्यम से संप्रेषित है, एवं प्राप्त प्रस्ताव की हार्ड कापी 02 प्रतियों में मूलतः अवलोकनार्थ संलग्न संप्रेषित है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।
(प्रस्ताव 02 प्रतियों में)

(डॉ. ए.ए. अंसारी)
भा0व0से0
वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट

वनमण्डल अधिकारी
दक्षिण सा. वनमण्डल, बालाघाट

o/c

पृ0क0 / मा0चि0 / 1845 बालाघाट,दिनांक 21 / 11 / 2019

प्रतिलिपि :–

(1) उपवनमंडलाधिकारी कटंगी (सा.) उपवनमंडल की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(2) वनपरिक्षेत्र अधिकारी कटंगी (सा.) परिक्षेत्र की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण में आपके प्रेषित पत्र प्रतिवेदन कमांक 1360 दिनांक 16.11.2019 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(3) आवेदक विभाग– जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक (RMSA), जिला–बालाघाट, (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भांकित संबंध में आपके पत्र कमांक / आर.एम.एस.ए. / 2019 / 781 दिनांक 01.11.2019 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(डॉ. ए.ए. अंसारी)
भा0व0से0
वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट

वनमंडल अधिकारी
दक्षिण सा. वनमंडल, बालाघाट

Check list for site inspection by the DFO

Proposal No : FP/MP/SCH/41392/2019

Proposal Name : Construction of School Building for Govt. High School Khairlanji (Katangi), District- Balaghat (M.P.)

Forest Land Proposed for diversion : District - Balaghat, Division - South Balaghat (T) Division, Range – Katangi, Forest Block- Khairlanji, Compartment No.- P-768, **in Area 0.410 Hect.**

Name of the Applicant : District Education Officer, Balaghat (M.P.)

Sl. No.	Particular	Inspection Report by DFO (T)
1.	Extent is hectares.	0.410 hac.
2.	Location (lat-long) of the forest land proposed for diversion.	Location :- District- Balaghat (M.P) Division :- South Balaghat (T) Division Forest Range :- Katangi Forest Block :- Khairlanji Forest Compartment No. :- P-768 (lat-long) Co-Ordinates Point No. Latitude(N) Longitude(E) 1. 21° 46' 8.58" 79° 45' 59.60", 2. 21° 46' 6.35" 79° 45' 59.09", 3. 21° 46' 6.64" 79° 45' 57.11", 4. 21° 46' 8.93" 79° 45' 57.63",
3.	Legal status of the forest land (Protected forest, reserve forests, revenue forest lands or any other forest land	Protected Forest Land
4.	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	Yes
5.	Any signs of encroachment.	No
6.	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non-forest land as part of the proposed project by the user agency. Details of action taken against the User Agency in case of violation of the FC Act and guidelines there under.	No
7.	Status of vegetation. Site quality, species composition etc.	Urja Van Plantation in year 2019 S.No. Plant Species Number of Plant's 1- Karanj 30 2- Shishu 43 3- Kala Siras 65 4- Kesia Samia 122 Total- 260 Plants

8.	Importance of area from wildlife point of view. Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals, any endangered wildlife). Any latest census of wildlife in the area.	Langur, spotted deer, wild boar, Jackal are visitors of the area.
9.	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	Not Applicable
10.	Current land use. Is this area managed as per prescriptions in the Working Plan and, If not, why ?	Forest Range-Katangi, Forest Block-Khairlanji, Compartment No.-P768 (PF) Current land use:- This area is under RDF working circle and is being managed as per prescriptions in the working plan RDF felling series Tirodi-II, coupe no. I, Area 22.08 ha. due Year for felling/working 2018-19. The forest land in case (ie 0.410 ha.) is already taken into establesmented of Fuel Forest (Urja Van) previous year. The affected area has investment of Rs. 37,642.00 and new area for extented of same activity will required another Rs. 37,642.00. Thus total Rs. 75,284.00 must be required to fullfill the activity of Fuel Forest (Urja Van) as compensation of change in land use.
11.	Importance of the area from historical or religious point of view.	Nil
12.	Any dependent persons/farmilies on this land.	No.
13.	Any displacement of persons proposed.	No.
14.	Is there any Rehabilititation and Resettlement Plan for the persons to be affected ? Is there any dissenting voice among the persons proposed to be displaced ?	Not Applicable
15.	Compensatory afforestation proposed is on forest land or non-forest land. Location of this area, suitability of the area for CA. If in the degraded forest land then what is the current Working Plan prescription for the area? Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area. Number of patches in case the area should be more than to kms.	Not Applicable

16.	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 kms.	N.A.
17.	Dependence of tribals in the area. Whether the rights of the tribals have been recognized in this area.	Not Applicable
18.	Utility of the project, including the people living in close vicinity of the project.	It will enhance Educational purpose. As per Application
19.	In case of renewal whether all the conditions stipulated in the earlier sanction order have been complied with.	Not Applicable
20.	Alternatives examined by the user agency in case of non-site specific projects.	--
21.	A certificate by the user agency that the forest land requested for diversion for non-forestry purpose in bare minimum.	--
22.	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	Proposed land for School may save tree with in its compound.
23.	Any other issue of significance.	--
24.	Specific recommendations of the DFO with reasons for approval of the project.	Recommended.

(Dr. A.A. Ansari)
I.F.S.
Divisional Forest Officer
South (T) Division Balaghat

Divisional Forest Officer
South Balaghat (T.)

Place :- Balaghat
Date :- 11-11-2019

कार्यालय वनपरिक्षेत्र अधिकारी कटंगी सामान्य परिक्षेत्र

E mail. - Rotkatangi@mp.gov.in

क्रमांक / .... 1360 कटंगी, दिनांक 16./11./2019

प्रति,

श्रीमान वनमण्डल अधिकारी
दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट

विषय :– बालाघाट जिले में तहसील कटंगी, वनपरिक्षेत्र कटंगी (सा0) अंतर्गत ग्राम पंचायत खैरलांजी (कटंगी), ग्राम–खैरलांजी, वनकक्ष कमांक पी–768 में पूर्व प्रेषित आवेदित रकबा 0.809 हेक्टेयर के स्थान पर आवेदित संशोधित प्रभावित वनभूमि रकबा 0.410 हेक्टेयर वनभूमि में शासकीय हाईस्कूल के भवन निर्माण हेतु वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रदान किये जाने बाबद्।
ऑन लाईन प्रस्ताव कमांक / FP/MP/SCH/41392/2019.
आवेदक विभाग – कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक (RMSA) जिला – बालाघाट (म0प्र0)।

मा ऽ १-५ / 19/11/19

—–000—–

उपरोक्त विषयांकित संबंध में निवेदन है कि वनपरिक्षेत्र कटंगी सामान्य के अंतर्गत ग्राम पंचायत खैरलांजी (कटंगी), ग्राम–खैरलांजी, वनकक्ष कमांक पी–768 में आवेदित वनभूमि रकबा 0.410 हे0 पर शासकीय हाईस्कूल भवन निर्माण हेतु वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रदान करने हेतु आवेदित विभाग जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि एवं वनमण्डल अधिकारी दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट की उपस्थिति में दिनांक 11/11/2019 को आवेदित स्थल का मौका सत्यापन किया गया, मौका पंचनामा संलग्न है। सत्यापन के दौरान उक्त स्थल (0.410 हेक्टेयर) 1 एकड़, जिसकी लंबाई 70 मीटर, 57.50 मीटर चौड़ाई मौके पर माप कर एवं चिन्हित कर सीमांकन किया गया, जिसकी जी.पी.एस. रीडिंग / अक्षांश देशांश निम्नानुसार है, गूगल मैप तैयार किया गया, संलग्न है :–

1- 21°46'8.58'' N, 79°45'59.60'' E
2- 21°46'6.35'' N, 79°45'59.09'' E
3- 21°46'6.64'' N, 79°45'57.11'' E
4- 21°46'8.93'' N, 79°45'57.63'' E

वनकक्ष कमांक पी–768 में सीमांकित की गई वनभूमि रकबा 0.410 हेक्टेयर पर वर्ष 2019 में विभाग द्वारा कैम्पामद अंतर्गत ऊर्जावन का रोपण कार्य किया गया है, जिसमें रोपित पौधों की प्रजाति, करंज–30, शिशु 43, काला सिरस–65, केसिया समिया–122, कुल योग–260 पौधे रोपित किये गये थे तथा उक्त क्षेत्र में लकड़ी के पोल्स लगाकर बारबेड वायर तार फेंसिंग का कार्य किया गया था, उक्त प्रभावित क्षेत्र में रोपण एवं फेंसिंग पर कुल व्यय राशि–37642.00 रू. विभाग द्वारा व्यय किया गया है, जिसका कार्यवार विवरण पृथक से प्रपत्र–1 में संलग्न है।

आवेदित विभाग से 0.410 हेक्टेयर भूमि पर किये गये वृक्षारोपण पर व्यय की गई राशि एवं उतने ही क्षेत्र में अन्य स्थल पर रोपण किये जाने पर आने वाले व्यय की राशि–37642.00 रू. + रोपण पर किये गये व्यय की राशि–37642.00 रू. कुल योग राशि = **75284.00** रू. क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाये जाने की अनुशंसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन संलग्न सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार
1. प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र 2 तथा
2. स्थल निरीक्षण का मौका पंचनामा की प्रति एवं
3. वनकक्ष कमांक P768 का वनमानचित्र प्रस्तावित स्थिति दर्शाकर एवं गूगल मानचित्र।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कटंगी सामान्य

कार्यालय वनमंडल अधिकारी
क. 12053
19/11/19

Nov. 2019

प्रपत्र – 1

खैरलांजी हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु कटंगी सा0 परिक्षेत्र के वनकक्ष कमांक पी–768 की आवेदित वनभूमि रकबा 0.410 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन किये जाने पर उक्त भूमि पर वर्ष 2019 में किये गये वृक्षारोपण में किये गये व्यय का विवरण

व्यय का विस्तृत विवरण

क्र.	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर मा.दि.	दर राशि	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सर्वे सीमांकन कार्य	हे.	0.410	0.45	135.00	55
2	क्षेत्र सफाई–20 से.मी. तक की विकृत पौध काटना, टुकड़े करना एवं संग्रह कर रोपण क्षेत्र के बाहर फेंकना (80 प्रतिशत कार्यक्षेत्र)	हे.	0.410	4	1200.00	492
3	फेंसिंग कार्य बारबेड वायर फेंसिंग	र.मी.	127	-	240.00	30480
4	गढढा खुदाई हेतु स्टेकिंग	संख्या	260	2.50	0.75	195
5	गढढा खुदाई कार्य 30X30X30 से.मी.	संख्या	260	3.00	9.00	2340
6	पौधा परिवहन	संख्या	260	1.08	3.24	842
7	सिरबोझ से रोपण स्थल में एक स्थान में संग्रहित पौधों को गढढे तक पहुचाना समस्त साईज के लिए	संख्या	260	0.40	1.20	312
8	पौधा रोपण। मिश्रित पॉलिथिन बैग के पौधे (गढढा साईज 30X30X30 से.मी.)	संख्या	260	1.50	4.50	1170
9	पौधों की प्रथम निंदाई	संख्या	260	1.25	3.75	975
10	पौधों की द्वितीय निंदाई	संख्या	260	1.25	3.00	780
					योग :–	**37642**

उक्त प्रभावित वनक्षेत्र के वृक्षारोपण में कुल व्यय की गई राशि 37642.00 (सैतीस हजार छः सौ बयालिस रू. मात्र)। उक्त राशि आवेदक विभाग–शिक्षा विभाग बालाघाट से शासन के मद में लिये जाने हेतु अनुशंसा की जाती है।

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
कटंगी (सा.)

प्रपत्र – 2

खैरलांजी हाई स्कूल भवन निर्माण हेतु कटंगी सा0 परिक्षेत्र के वनकक्ष कमांक पी–768 की आवेदित वनभूमि रकबा 0.410 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन किये जाने पर उक्त भूमि के एवज पर उक्त वनकक्ष में अन्यत्र स्थान पर वृक्षारोपण किये जाने हेतु आंकलित व्यय का विवरण

व्यय का विस्तृत विवरण

क्र.	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर मा.दि.	दर राशि	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सर्वे सीमांकन कार्य	हे.	0.410	0.45	135.00	55
2	क्षेत्र सफाई–20 से.मी. तक की विकृत पौध काटना, टुकड़े करना एवं संग्रह कर रोपण क्षेत्र के बाहर फेंकना (80 प्रतिशत कार्यक्षेत्र)	हे.	0.410	4	1200.00	492
3	फेंसिंग कार्य बारबेड वायर फेंसिंग	र.मी.	127	-	240.00	30480
4	गढढा खुदाई हेतु स्टेकिंग	संख्या	260	2.50	0.75	195
5	गढढा खुदाई कार्य 30X30X30 से.मी.	संख्या	260	3.00	9.00	2340
6	पौधा परिवहन	संख्या	260	1.08	3.24	842
7	सिरबोझ से रोपण स्थल में एक स्थान में संग्रहित पौधों को गढढे तक पहुचाना समस्त साईज के लिए	संख्या	260	0.40	1.20	312
8	पौधा रोपण। मिश्रित पॉलिथिन बैग के पौधे (गढढा साईज 30X30X30 से.मी.)	संख्या	260	1.50	4.50	1170
9	पौधों की प्रथम निंदाई	संख्या	260	1.25	3.75	975
10	पौधों की द्वितीय निंदाई	संख्या	260	1.25	3.00	780
					योग :–	**37642**

उक्त प्रभावित वनभूमि के एवज में उक्त वनकक्ष कमांक पी–768 की वनभूमि पर ही अन्यत्र स्थान पर वृक्षारोपण की क्षतिपूर्ति की जावेगी, जिसमें आंकलित राशि 37642.00 (सैतीस हजार छः सौ बयालिस रू. मात्र), जो कि आवेदक विभाग–शिक्षा विभाग बालाघाट से शासन के मद में लिये जाने हेतु प्रस्तावित है।

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
कटंगी (सा.)

मौका पंचनामा

हम समस्त हस्ताक्षर अंगुठाकर्ता पंचगणों यह तस्दीक करते हैं कि आज दिनांक 11/11/2019 को ग्राम पंचायत खैरलांजी कटंगी के अन्तर्गत बीट नहलेसरा के वन कक्ष P768 मे वन भूमि में शासकीय हाईस्कूल भवन निर्माण हेतु वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्राप्त करने हेतु आवेदित विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी प्रतिनिधि, एवं वनमण्डला अधिकारी दक्षिण वन मण्डल बालाघाट की उपस्थिति मे आवेदित स्थल का स्थल सत्यापन किया गया सत्यापन के दौरान उक्त स्थल वन कक्ष P768 मे प्रस्तावित भूमि की माप की गई जिसका रकबा (0.410) एक एकड़ जिसकी लंबाई 70 मीटर चौड़ाई 57.58 मीटर मौके पर माप की गई एवं निशान लगाकर पृथक किया गया। जिसका GPS ① 21°46'8.58 N 79 4557.60E ② 21°466.35 N 794557.90E ③ 21°466.64 N 794557.11E ④ 21°468.93 N 794557.63E लिया गया।

वास्ते मौके पर उपस्थित पंचो के समक्ष पंचनामा तैयार किया गया।

क्र.	उपस्थित पंचो के नाम वल्दियत	हस्ताक्षर
1.	श्री अनिल प्रसाद भगत खैरलांजी शिक्षक	[signature]
2.	श्री मोहन बोपचे आर्ति जिला स. क्र. बालाघाट	[signature] 11-11-19 ADPC
3.	श्री आई पी चौहान वनपाल प.स. कटंगी	[signature]
4.	श्री हिमांशु राय प.क्षे. कटंगी	[signature]
5.	श्री डॉ. एन.एन. अंसारी, वनमण्डलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमण्डल बालाघाट	[signature]

पंचनामा मेरे समक्ष लिपिबद्ध किया गया
[signature]
अमोल [illegible]
बीट गार्ड नहलेसरा

उपरोक्त वनमंडल कटंगी के वनकक्ष क्रमांक P768 में प्रस्तावित वन भूमि व्यपवर्तित स्थल का युगल मानचित्र रकबा 0.410 हेक्टेयर

ऑनलाइन प्रस्ताव क्रमांक/FP/MP/SCH/41392/2019

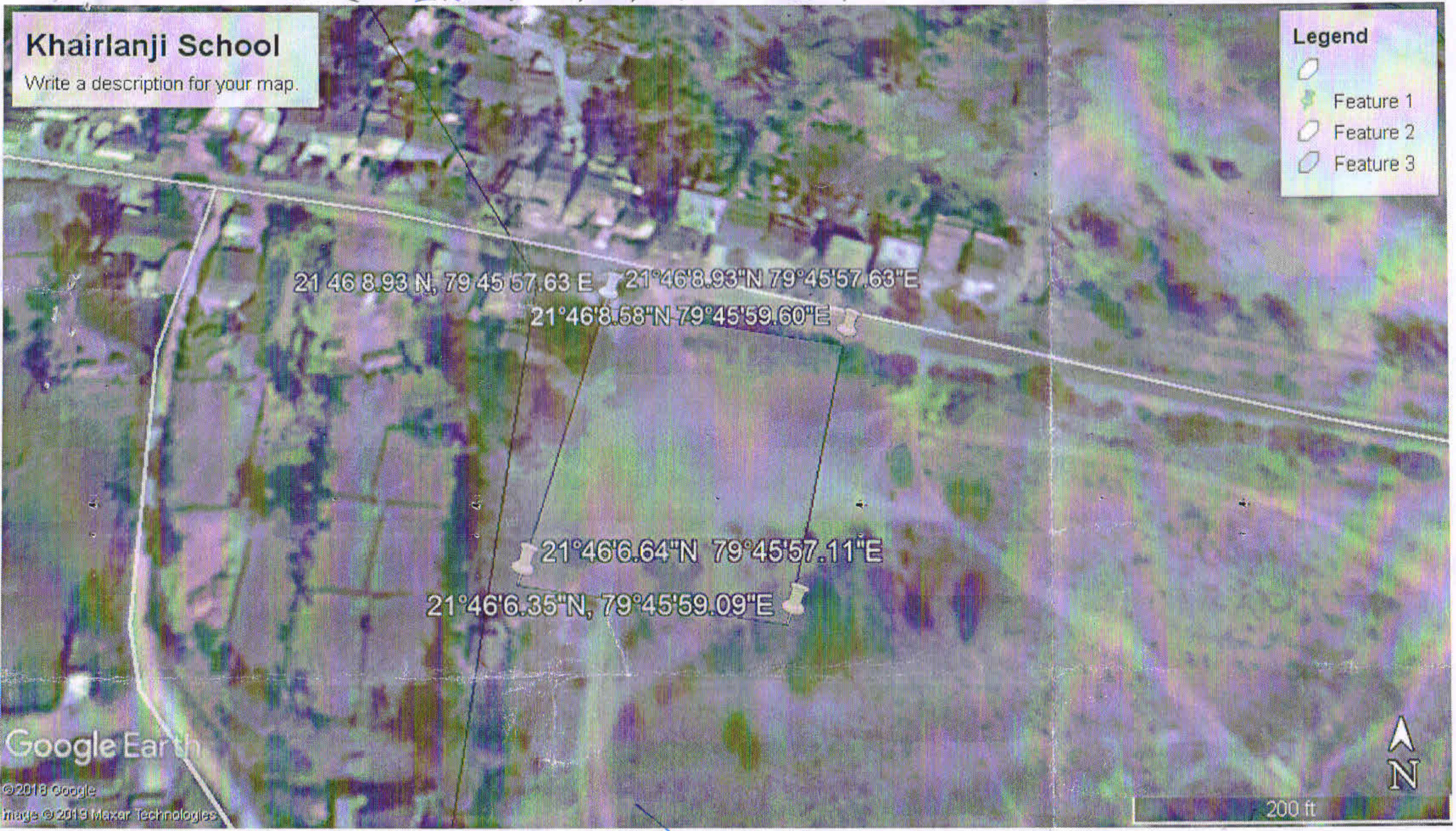

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कटंगी सा0

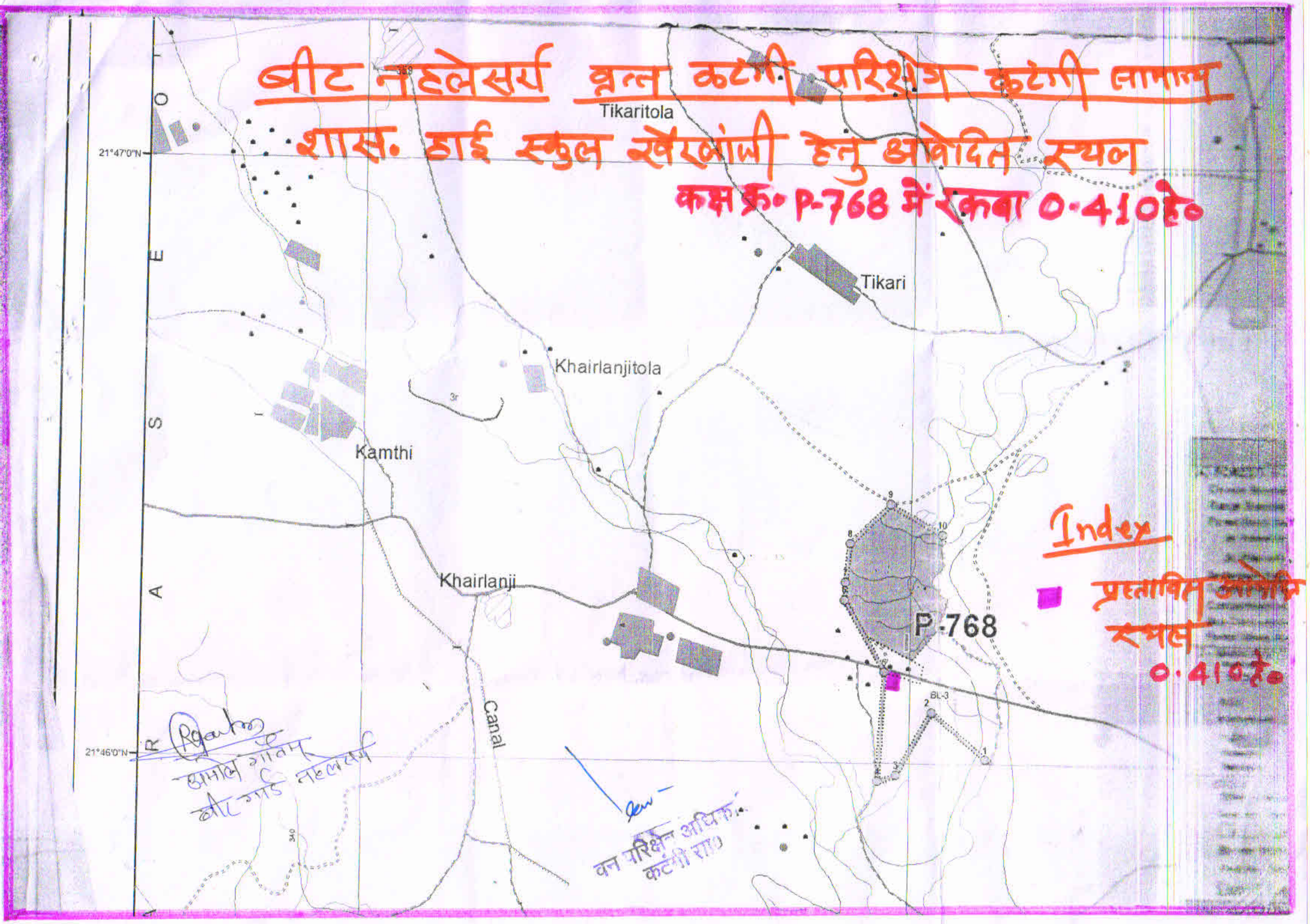
शास. हाई स्कूल खैरलांजी हेतु आवेदित स्थल
कक्ष क्र. P-768 में रकबा 0.410 हे.
Tikaritola
Tikari
Khairlanjitola
Kamthi
Khairlanji
Canal
P-768
BL-3
21°47'0"N
21°46'0"N
Index
प्रस्तावित आवेदित स्थल 0.410 हे.